क्रम तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com)

अधिहरण वाद सं0–10/2016

परमानन्द राम वगैरह –बनाम– राज्य

03.12.2021 अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह वाद आवेदक विनय कुमार वगैरह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में पंजीकृत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा विज्ञ अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के न्यायालय में G.R. No.-09/1997 एवं T.R. No.-334/2007 में पारित आदेश, दिनांक 17.02.2007 के आलोक में गिरिडीह(मु0) थाना काण्ड सं0–168/1997 अन्तर्गत जब्त सामग्रियों को बिक्री के पश्चात् कोषागार में जमा कराए गए राशि मो0 72,272.00 रूपये को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार हैः– प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा गिरिडीह(मु0) थाना काण्ड सं0–168/1997, दिनांक 25.07.1997 अन्तर्गत जप्ती सूचि में उल्लेखित घटना के तहत् वाहन सं0 BR 21G 4559 से जप्त किए गए खाद्यान्न कुल 62 क्विंटल चावल एवं 53 क्विंटल गेहूँ को कालाबाजारी करने के उद्देश्य से परिवहन करने का आरोप लगाते हुए उक्त खाद्यान्न को जप्त कर राजसात करने हेतु अनुशंसा किया गया था तथा उक्त अनुशंसा के आलोक में इस न्यायालय के अधिहरण वाद सं0–07/1997 में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के आदेश, दिनांक 05.08.1997 द्वारा जप्त किए गए उक्त खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6A Clausc(3) के तहत् राजसात करते हुए इसकी बिक्री कर प्राप्त राशि को कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेशित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, पटना के न्यायालय में अधिहरण अपील वाद सं0–29/1997 दायर किया गया तथा G.R. No.-09/1997 एवं T.R. No.-334/2007 में न्यायालय, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश, दिनांक 17.02.2007 के तहत् वादी सहित सभी अभियुक्तों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 7 से दोषमुक्त करार दिया गया है। विज्ञ अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश से परिलक्षित होता है कि वादी के विरूद्ध चल रहे आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही वादी द्वारा दायर लिखित जवाब तथा समर्पित प्रमाण (अभिप्रमाणित प्रतिलिपि) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति, वारसलीगंज के रसीद सं0–825549, दिनांक 24.07.1997 के माध्यम से वाहन सं0 BR 21G 4559 पर व्यापार के उद्देश्य से उक्त खाद्यान्न का उठाव किया गया प्रतीत होता है न कि कालाबाजारी के उद्देश्य से। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्त किये गये उक्त खाद्यान्न कुल 62 क्विंटल चावल एवं 53 क्विंटल गेहूँ की बिक्री से प्राप्त राशि मो0 72,272.00(बहत्तर हजार दो सौ बहत्तर) रूपये, जो कोषागार में चालान सं0 17, दिनांक 12.08.1997 के माध्यम से जमा कराई गई है, उसे वादी को वापस कर देना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जप्त खाद्यान्न की बिक्री के पश्चात् प्राप्त राशि मो0 72,272.00(बहत्तर हजार दो सौ बहत्तर) रूपये, जो कोषागार में चालान सं0 17, दिनांक 12.08.1997 के माध्यम से जमा कराई गई है, को वादी के पक्ष में मुक्त किया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि कोषागार में जमा कराए गए उक्त राशि मो0 72,272.00(बहत्तर हजार दो सौ बहत्तर) रूपये को वादी विनय कुमार वगै0 के पक्ष में भुगतान करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पारित आदेश से वादी को अवगत करा दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.12.28 19:51:12 +05:30
Location: 192.168.53.138